

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या-43/2016/450 /चि0-3-16-टी-1(87)/2015,

लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-267/2015/2611/चि0-3-15-टी-1(87)/2015, दिनांक 22-05-15 द्वारा डा0 चित्रा सुरेश, स्त्री रोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-12133, ले0-2), बी0एम0सी0 चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह हजरतगंज, लखनऊ का वीरागंना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ किये गये स्थानान्तरण को संशोधित करते हुये उ0प्र0 राज्य एडस नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर उ0 निदेशक, एस0टी0आई0 के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

डा0 चित्रा सुरेश को उ0प्र0 राज्य एडस नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने के सम्बन्ध में सेवा शर्तें पृथक से निर्गत की जायेगी।

2- डा0 चित्रा सुरेश को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराये।

विनोद कुमार सिंह

संयुक्त सचिव

संख्या-43/2016/450

(1)/चि-3-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 4- निदेशक, उ0प्र0 राज्य एडस नियंत्रण सोसाइटी, चतुर्थ तल ए ब्लॉक पिकप भवन विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि डा0 चित्रा सुरेश को प्रतिनियुक्ति पर उ0 निदेशक, एस0टी0आई0 के पद पर उ0प्र0 राज्य एडस नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ में तैनात किये जाने के सम्बन्ध में सेवा शर्तें शासन को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 03 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, बी0एम0सी0 चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह एन0के0 रोड हजरतगंज, लखनऊ/वीरागंना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, बी0एम0सी0 चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह एन0के0 रोड हजरतगंज, लखनऊ/वीरागंना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ)।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 10- चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।